



2026:AHC:4290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 38 वर्ष 2026

देवराज सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : आजाद खान, दानिश कलीम

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : बाल मुकुंद, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद खान, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह और प्रतिवादी संख्या 7 के लिए श्री बाल मुकुंद के तर्कों को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि उन्हें प्रारंभ में 07.12.1979 को सहायक विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 31.12.2012 को सेवानिवृत्त हुए थे तथा 09.10.2025 का एक पत्र भी है, फिर भी याचिकाकर्ता को जीपीएफ और समूह बीमा का भुगतान नहीं किया गया है।
- विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय पांचवें प्रतिवादी, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग, सोनभद्र मंडल द्वारा किया जाएगा।
- उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक पांचवें प्रतिवादी, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग, सोनभद्र मंडल के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, पांचवें प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे और ब्याज से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।